का॰ ज्ञा॰ सं॰ 13017/4/90-रा॰ भा॰ (नी॰ स॰), दिनांक-28.7.1998

विषय:- अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी सरकारी कामकाज करने के लिए आशुलिपिकों तथा टाइपिस्टों को हिंदी प्रोत्पाहन भत्ता देना।

राजभाषा विभाग के दिनांक 12 अगस्त, 1983 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 14012/55/76-रा॰ भा॰ (ग) द्वारा, अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में सरकारी काम करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को "हिंदी प्रोत्साहन भत्ता" देने की योजना 15 अगस्त, 1983 से लागू की गई। इस योजना के अधीन एक निर्धारित मात्रा (हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टाइप करना) में सरकारी कार्य हिंदी में भी करने के लिए अंग्रेजी आशुलिपिकों/टाइपिस्टों को क्रमश: रुपए 30/- व रुपए 20/- प्रतिमाह विशेष प्रोत्साहन भत्ता स्वीकार किया जा सकता था। इस योजना पर पुन: विचार के पश्चात् इस विभाग के दिनांक 16 अगस्त, 1987 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 13034/31/85-रा॰ भा॰ (ग) के अनुसार, उक्त प्रोत्साहन भत्ते की राशि को आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए क्रमश: रुपए 60/- व रुपए 40/- कर दिया गया था।

2. इस प्रोत्साहन भत्ते की राशि को 1 अगस्त, 1997 से आशुलिपिकों/टाइपिस्टों के लिए क्रमश: 120/-रु॰ तथा 80/-रु॰ प्रतिमाह किया जाता है। दिनांक 12 अगस्त, 1983 के का॰ ज्ञा॰ सं॰ 14012/55/76-रा॰ भा॰ (ग) में इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिए जो शर्तें दी गई हैं, वे लागू रहेंगी।

3. यह आदेश व्यय विभाग के दिनांक 16.7.98 के यू॰ ओ॰ सं॰ हिंदी-18/स्था॰3 (क)/98 में दी गई सहमति से जारी किया जाता है।